न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/14/2021 प्रार्थना पत्र — दायर दिनांक 27.07.2021

उनवान

1. नानालाल पिता मोहन जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. बंशीलाल पिता मोहन जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. अनोपी पत्नी नानालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
2. कंकुदेवी पत्नी भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. गीताबाई पत्नी शंकर जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. गोपाल पिता भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. नाबालिग प्रकाश पुत्र जगदीश संरक्षक सरपरस्त माता अनिता उर्फ भगवानी जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. अनोपी पत्नी भगवानलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. उदी पुत्री छोगालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. कन्हैयालाल पुत्र मांगु जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. कमला पुत्री मिठु जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. कैलाश पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. केसरबाई पत्नी मांगु जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. गंगाबाई पुत्री भगवानलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. घीसी पुत्री भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
14. देवीलाल पुत्र छोगालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. नाना पुत्र हजारी जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. नानीबाई पत्नी छोगालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
17. बालीबाई पुत्री भगवानलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
18. ममता पुत्री छोगालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. माधु पुत्र मिठु जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
20. मोहनीबाई पत्नी नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
21. रतनी पुत्री भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
22. रतनीदेवी पुत्री मांगु जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
23. राजेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
24. रामचन्द्र पुत्र भगवानलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
25. लक्ष्मण पुत्र छोगालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
26. लीलेश पुत्री छोगालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
27. सीता पुत्री नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
28. सीमा पुत्री नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
29. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री लक्ष्मीशंकर जाट —प्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला-चित्तौडगढ

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 03.12.2025

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट के तहत निम्न निवेदन के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में आ0सं0 1212 रकबा 1.52 हैक्ट0 स्थित है। उक्त आराजीयात में आने जाने बैलगाडी ले जाने तथा खेत पर जाने का एकमात्र रास्ता गांव के रेकार्डेड रास्ता आ0सं0 1228 से होकर आ0सं0 1206 के पश्चिम मेड पर होते हुए आ0सं0 1211 में प्रवेश कर आ0सं0 1211 के पश्चिम मेड पर होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी में वर्षो से आ जा रहा है।

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी आ0सं0 1212 में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता है इसके अलावा कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही होने से अप्रार्थीगणों द्वारा रास्ता बन्द कर दिया तथा आने जाने से इन्कार कर लडाई झगडा किया दिनांक 05.06.2021 को प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में आने जाने लगे तो अप्रार्थीगणों द्वारा साफ मना कर रास्ता बन्द कर दिया है इसलिए उक्त रास्ता करेार्ड में दर्ज करा रास्ता खुलवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। प्रार्थना पत्र के साथ चालु जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस साथ संलग्न है।

यह कि प्रार्थी की आराजी में जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। तथा अप्रार्थीगणों द्वारा उक्त कदिमानी रास्ता को अवरूद्ध कर दिया जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजी में खडी फसल की देखरेख करने मवेशी, संज सामंद ट्रेक्टर व कुएं पर मोटर चलाने इत्यादि लाने ले जाने में परेशानी हो रही है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। इसलिए यह रास्ता अति आवश्यक होने से रास्ता दिलाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश है।

यह कि इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त रास्ते का वर्षो से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। जिसमें हाल ही में अप्रार्थीगण ने उक्त कदिमानी रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है जिनको कोई अधिकार नही है। अविलम्ब मौका कमिश्नर करा कर उक्त अवरूद्ध किये गये रास्ते को खुलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगणों को उक्त रास्ते के लिये डी0एल0सी0 दर या श्रीमान् के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने के लिये तैयार है।

यह कि प्रार्थी दिनांक 05.06.2021 को प्रार्थीगण अपनी आराजी पर मवेशी लेकर जाने लगा तो मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते से आने जाने हेतु मना कर दिया तथा उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया जिससे प्रार्थना पत्र कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि—

प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने हेतु खाली भरी बैलगाडी, ट्रेक्टर, मवेशी,फसल आदि लाने ले जाने एवं मोटर चलाने के लिए जाने का उक्त रास्ता दिलाया जाकर अप्रार्थीगण की आराजीयात में रास्ता दर्ज कराया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 16 का नाम डिलीट किये जाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 16 का नाम विलोपित किया गया। विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 2 से 14 व 17 से 28 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2022 प्राप्त हुई। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :—

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी निजी मौजा लांगच की आराजी संख्या 1212 पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण —पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम ह।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   अप्रार्थीगण रास्ते के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात में से भूमि चाहते है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौडगढ

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन-जिला-चित्तौडगढ

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

सहमति के प्रयास किये सहमति व्यक्त की गई।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित अनुसार

आ0सं0 1206 में से रास्ते बाबत् भूमि का क्षेत्रफल 240 वर्ग मी0 (60 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई) राजस्व रेकार्ड अनुसार बनता है जो दूरी में न्यूनतम है।

अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते की एवज में भूमि दिये जाने के क्रम में मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिस पर समस्त खातेदारो के हस्ताक्षर नही है जिससे समस्त अप्रार्थीगण की सहमति मानी जाये साथ ही अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। उक्त सहमति के क्रम में न्यायालय में कोई भी अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर सहमति जाहिर नही की है। जिससे सहमति मानी जा सके। अतः प्रस्तावित रास्ते की डीएलसी की दुगुना राशि पर रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

हमने की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उक्त पत्रावली अवलोकन, उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के आराजी नं0 1212 पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1206 से रास्ता चाह रहे है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा लांगच की आ0 सं0 1212 पर जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज़स्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में स्थित हाल आराजी न0 1212 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा लांगच की आ.न. 1206 है। जिससे रास्ते का प्रस्तावित रकबा आ0नं0 1206 में से 60 मी0 × 4 मी0 कुल क्षेत्रफल 0.0240 हैक्ट0 है जिसका दिनांक 24.11.2022 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क के अनुसार कुल रकबा 0.0240 हैक्ट0 की डीएलसी दर 459290 प्रति हैक्टयर से कुल राशि 11023 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 22046/— रूपये अक्षरे बाईस हजार छियालीस रूपये राशि जो कि अप्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के नाम हक हिस्से अनुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भीतर—भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(राजेश पुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन